

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10102020-222354
SG-DL-E-10102020-222354

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 157
No. 210]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942	[N. C. T. D. No. 157

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 9, अक्टूबर, 2020

फा. सं. 61(1040)/जेजेबी(सलेक्शन)/डीडी(सीपीय)/डीडब्ल्यूसीडी/2019-20/9218-47:— किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 (2016 का 2) की धारा 2 के खण्ड (59) की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिल्ली राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, किशोर न्याय बोर्ड—। में रिक्त पद के लिए निम्नलिखित सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करती है, जिसके अनुसार यह बोर्ड उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों का कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्य करेगा।

क्र.सं.	बोर्ड का नाम और पता	सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता का नाम
1.	किशोर न्याय बोर्ड- I, सेवा कुटीर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैंप, दिल्ली	सुश्री पूनम उपाध्याय, D-38, क्लासिक अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 11, सेक्टर -22 द्वारका, नई दिल्ली -110077 फोन नंबर -9873718851

उपरोक्त सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

दिल्ली राज्य सरकार
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, के आदेश से,
डॉ. रश्मि सिंह, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 9th October, 2020

F. No. 61(1040)/JJB(Sele.)/DD(CPU)/DWCD/2019-20/9218-47:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 read with clause 59 of Section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the State Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the below mentioned person as Member Social Worker against the vacant post for Juvenile Justice Board-I for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Board, in relation to the children in conflict with law under the said Act for the National Capital Territory of Delhi.

Sl. No.	Name & Address of the Board	Name of Member Social Workers
1	2	3
	Juvenile Justice Board-I, Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, Delhi	Ms. Poonam Upadhyay, Add:-D-38, Classic Apartments Plot No.11, Sector-22 Dwarka, New Delhi-110077. Ph-9873718851,

The tenure of the aforesaid Member Social Worker shall be three years from the date of the Notification.

By Order of the
State Government of National
Capital Territory of Delhi,

Dr. RASHMI SINGH, Dir.